

प्रश्नोत्तर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'इक्यावन'

[21/3/2015/02 35]

प्रश्न सं. [क. 6528]
मध्यप्रदेश शासन

(27)

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल, दिनांक 4 नवंबर 2015

क्रमांक 3205 / 2571 / 18 / 18-6: माननीय उच्च न्यायालय, खंडपीठ जबलपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 6.8.2015 के परिपालन में अवैध/अनियमित नियुक्तियों का परीक्षण किया जाना है। मध्यप्रदेश नगरीय विकास सेवा तथा मध्यप्रदेश विकास प्राधिकरण सेवा के राज्य स्तरीय संवर्ग में वर्तमान में कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के प्रकरणों का परीक्षण करने के लिए निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है।

- (1) आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास
- (2) संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश
- (3) श्री आशीष सक्सेना, उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण
- (4) श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण.

2/ प्रारंभिक परीक्षण में अवैध/अनियमित नियुक्ति पाये जाने वाले ऐसे प्रकरण जो नगरीय विकास सेवा के हैं, उन्हें समिति के समक्ष आयुक्त, नगरीय प्रशासन एवं विकास तथा विकास प्राधिकरण सेवा के प्रथम दृष्टया अवैध/अनियमित पाये गये प्रकरण संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा समिति के समक्ष प्रस्तुत किए जायेंगे।

(अशोक कुमार मालवीय)

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग

भोपाल, दिनांक 4 नवंबर 2015

पृ0क्रमांक 3206 / 2571 / 18 / 18-6:
प्रतिलिपि:-

1. आयुक्त, संचालनालय नगरीय प्रशासन एवं विकास, भोपाल।
2. संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, म.प्र.भोपाल।
3. श्री आशीष सक्सेना, उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय।
4. श्री ओमप्रकाश श्रीवास्तव, उप सचिव, नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग, मंत्रालय।

अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग